

राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम, डीलक्स आगार,  
झोटवाड़ा रोड़, टी0बी0सेनेटोरियम के पास, जयपुर-16  
Email:rsrtc.cmdlx@gmail.com

निविदा सूचना संख्या 02 / 2026-2027

| कार्य का विवरण  | मूल्यांकन मानदण्ड | कार्य की अनुमानित लागत | निविदा प्रपत्र की लागत (नॉन रिफण्डेबल) | वित्तीय निविदा हेतु सुरक्षा राशि | निविदा प्रस्तुत करने की अंतिम दिनांक / निविदा खोलने की दिनांक |
|---|-------------------|------------------------|--|----------------------------------|---|
| डीलक्स आगार में संचालित निगम वाहनों के पैसेन्जर सैलून की शैम्पूयिंग / ड्राईग्लीनिंग | निविदानुसार       | 7,20,000रु             | 500रु + जीएसटी 18%                     | 14,400रु                         | 29.05.2026<br>15.00बजे तक<br>29.05.2026<br>15.30बजे           |
| डीलक्स आगार में संचालित वाहनों के सीट कवर एवं पर्दे इत्यादि धुलाई का कार्य          | निविदानुसार       | 5,40,000रु             | 500रु + जीएसटी 18%                     | 10,800रु                         | 29.05.2026<br>15.00बजे तक<br>29.05.2026<br>15.30बजे           |

(हेमेन्द्र सिंह गहलोत)  
मुख्य प्रबन्धक, डीलक्स आगार।

निविदा फार्म संख्या.....  
शुल्क रूपये 500+90जीएसटी

राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम, डीलक्स आगार, जयपुर।  
डीलक्स आगार की वाहनों के पैसेन्जर सैलून की ड्राईक्लीन/शैम्पूयिंग कार्य हेतु  
तकनीकी निविदा-फॉर्म

|   |  |  |
|---|--|--|
| 1 | आवेदनकर्ता का नाम/फर्म का नाम  |  |
| 2 | आवेदनकर्ता का स्थाई/<br>पत्र व्यवहार का पता  |  |
| 3 | आवेदन शुल्क रसीद संख्या/दिनांक   |  |
| 4 | जी0एस0टी0 रजि0 नंबर (प्रति संलग्न करें)<br>अथवा जीएसटी रजिस्ट्रेशन न होने पर<br>50रूपये के स्टाम्प पेपर शपथ-पत्र प्रस्तुत<br>करें। |  |
| 5 | आधार नंबर<br>(प्रति संलग्न करें।)  |  |
| 6 | किसी सरकारी/गैर सरकारी संस्थान में<br>कार्य का 3 वर्ष का अनुभव।<br>(प्रमाण-पत्र संलग्न करें।)                                      |  |
| 7 | आवेदनकर्ता का दूरभाष/मोबाईल नंबर   |  |
| 8 | निविदा सुरक्षा राशि डी0डी0 संख्या/दिनांक   |  |

मैं/हम घोषणा करता/करते हूँ/हैं कि आवेदन-पत्र में अंकित सूचना मेरी  
निजी जानकारी के अनुसार सही है, जिन्हें पूर्णतः पढ़कर एवं समझकर  
स्वीकारोक्तिस्वरूप हस्ताक्षर किये हैं।

हस्ताक्षर

(आवेदनकर्ता)

राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम, डीलक्स आगार, जयपुर।

डीलक्स आगार की वाहनों के पैसेन्जर सैलून का ड्राईक्लीन/शैम्पूयिंग कार्य हेतु वित्तीय निविदा-फॉर्म

|   |   |  |
|---|---|--|
| 1 | आवेदनकर्ता का नाम/फर्म का नाम   |  |
| 2 | आवेदनकर्ता का स्थाई पता   |  |
| 3 | वाहनों के पैसेन्जर सैलून की सीटों की शैम्पूयिंग एवं ड्राईक्लीनिंग कार्य की दर (प्रति सीट) |  |
| 4 | वाहनों के पैसेन्जर सैलून की शैम्पूयिंग एवं ड्राईक्लीनिंग कार्य की दर (सीटों सहित)         |  |
| 5 | वाहनों के पैसेन्जर सैलून की शैम्पूयिंग एवं ड्राईक्लीनिंग कार्य की दर (सीटों रहित)         |  |
| 6 | ड्राईक्लीन हेतु उपयोग में लिये जाने वाले केमिकल का विवरण मय मेक                           |  |

निविदा की शर्तें-

1. निविदादाता को निविदा के साथ 14,400/- (चौदह हजार चार सौ रूपये) निगम कोष में बतौर निविदा सुरक्षा राशि जरिये डी0डी0 (Chief Manager rsrc Deluxe Depot Jaipur के नाम) जमा करानी होगी तथा निविदा स्वीकार किये जाने की स्थिति में कार्य की वार्षिक लागत की 5 प्रतिशत राशि प्रतिभूति राशि के रूप में जमा करानी आवश्यक होगी। सफल निविदादाता की निविदा सुरक्षा राशि को प्रतिभूति राशि के रूप में समायोजित करते हुये शेष राशि निगम कोष में जमा कराना आवश्यक होगा।
2. सफल निविदादाता/फर्म को उपलब्ध करायी गयी वाहन की ड्राईक्लीन/शैम्पूयिंग एक दिन में डीलक्स आगार कार्यशाला में ही करनी होगी।
3. संबंधित फर्म को बसों की ड्राईक्लीनिंग/शैम्पूयिंग से संबंधित समस्त सामान स्वयं उपलब्ध कराना होगा, जिसका खर्च संबंधित फर्म द्वारा स्वयं वहन किया जावेगा।
4. संबंधित फर्म द्वारा ड्राईक्लीनिंग/शैम्पूयिंग कार्य में प्रयुक्त केमिकल ब्राण्डेड होना चाहिये तथा यदि फर्म द्वारा प्रयोग में लिये जाने वाले केमिकल की गुणवत्ता निगम को संतोषजनक नहीं पायी जावेगी तो निगम द्वारा बताये गये ब्राण्ड का केमिकल उपयोग में लेना होगा।
5. बसों की ड्राईक्लीनिंग/शैम्पूयिंग के दौरान सीटों एवं अन्य सामान में किसी प्रकार का दोष आने पर संबंधित फर्म का उत्तरदायित्व निर्धारित रहेगा तथा वास्तविक क्षति राशि की वसूली फर्म को देय भुगतान अथवा जमा प्रतिभूति राशि में से कर ली जावेगी।
6. फर्म को उपलब्ध करायी गई वाहन की ड्राईक्लीनिंग/शैम्पूयिंग एक दिवस में करनी होगी, ऐसा न करने पर प्रति वाहन 500रूपये की पैनल्टी देयक से कर ली जावेगी।
7. वाहन में किये गये ड्राईक्लीन/शैम्पूयिंग का कार्य आवश्यकतानुसार/संतोषजनक न किये जाने की स्थिति में अनुबन्ध समाप्त करते हुये प्रतिभूति राशि जब्त कर ली जावेगी।
8. वाहन में किया गया ड्राईक्लीन/शैम्पूयिंग कार्य आवश्यकतानुसार किया गया है, का प्रमाणिकरण प्रबन्धक (संचालन), डीलक्स आगार द्वारा किये जाने पर ही भुगतान देय होगा।
9. निविदादाता को वाहन की ड्राईक्लीन/शैम्पूयिंग में होने वाला समस्त व्यय जैसे-मजदूरी, मैटेरियल, भाड़ा इत्यादि स्वयं वहन करना होगा, जिसका पृथक से कोई भुगतान देय नहीं होगा। तदनुसार निविदादाता को समस्त व्यय सम्मिलित करते हुये निविदा हेतु दरें प्रस्तुत किये जाने चाहिये।
10. निविदादाता द्वारा ड्राईक्लीनिंग/शैम्पूयिंग कार्य हेतु प्रस्तुत दरें केवल मात्र डीलक्स आगार कार्यशाला में वाहनों के ड्राईक्लीन कार्य हेतु ही मान्य होगी। तथा निविदादाता को दरें प्रस्तुत करते समय इस कार्य पर देय समस्त प्रकार के टैक्स इत्यादि को सम्मिलित करते हुये प्रस्ताव प्रस्तुत किये जाने चाहिये।

11. जीएसटी सहित सभी प्रकार के करों का भुगतान एवं श्रम कानूनों की पालना करने का दायित्व निविदादाता को होगा। देयक से नियमानुसार कार्यरत श्रमिकों की सीपीएफ/ईएसआई/आयकर की नियमानुसार संबंधित विभाग द्वारा तय दरों पर कटौती की जावेगी।
12. समस्त प्रकार के विवादों का न्यायिक क्षेत्र केवल मात्र जयपुर होगा।
13. इस अनुबन्ध के संबंध में किसी भी प्रकार का विवाद उत्पन्न होने पर निम्न कार्यवाही की जावेगी—

(i) Dispute Resolution:

Any dispute or difference whatsoever arising between the parties out of or relating to the construction, meaning, scope, operation or effect of this contract or the validity or the breach thereof, shall, in the first instance, be resolved by referring such dispute or difference to the Standing committee constituted Vide Rajasthan State Road Transport Corporation's office order No. HO/Law/Gen/17/781 dated 03.10.2017. The standing Committee so constituted shall ensure full compliance with the office order referred to above.

(ii) Any dispute/objection regarding the condition mentioned in all the tenders/ contracts/ agreements issued by the Corporation shall be filed in the competent court located in Jaipur.

14. निविदादाता को डीलक्स आगार में उपलब्ध समस्त श्रेणी की वाहनों के ड्राईक्लीन/शैम्पूयिंग कार्य के मध्य नजर दरें प्रस्तावित की जानी चाहिये।
15. निविदादाता को कार्य आवंटन होने पर, कार्य प्रारंभ करने से पूर्व उसके द्वारा प्रस्तावित किये केमिकल का एक सैम्पल कार्यशाला प्रभारी के पास उपलब्ध कराना होगा।
16. निविदादाता द्वारा निविदा के संबंध में कोई शर्त स्वीकार्य नहीं होगी।
17. उक्त जॉब वर्क कार्य की अवधि वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिये मान्य होगी, जिसे कार्य संतोषजनक पाये जाने पर समान दर एवं शर्तों पर दोनों पक्षों की सहमति से 06 माह के वृद्धिकृत किया जा सकेगा।
18. उक्त निविदा/अनुबन्ध में किसी प्रकार का विवाद होने पर कार्यकारी निदेशक (यांत्रिक), राजस्थान परिवहन निगम, मुख्यालय जयपुर का निर्णय अंतिम तथा दोनों पक्षों को मान्य होगा।
19. फर्म/ठेकेदार का कार्य संतोषजनक नहीं होने अथवा शिकायत आने पर 15 दिवस के नोटिस पर कार्य समाप्त कर दिया जावेगा तथा जमा प्रतिभू राशि जब्त कर ली जावेगी।
20. निविदादाता द्वारा प्रस्तुत दरें 90 दिवस की समयावधि तक ही मान्य होगी।
21. निविदादाता को उक्त वर्णित कार्य करने का किसी भी सरकारी/प्रतिष्ठित गैर-सरकारी संस्थान का अनुभव होना चाहिये, जिसका अनुभव का प्रमाण-पत्र संलग्न करना होगा।
22. निविदादाता को निविदा प्रस्तुत करने हेतु तकनीकी एवं वित्तीय निविदा फॉर्म पूर्ति कर मय संलग्न किये जाने वाले दस्तावेजों सहित अलग-अलग लिफाफे (जिनमें तकनीकी एवं वित्तीय निविदा प्रपत्र अंकित हो ) में प्रस्तुत करना होगा। तकनीकी निविदा प्रपत्र में वर्णित शर्तें पूर्ण पाये जाने पर ही वित्तीय निविदा प्रपत्र खोला जावेगा।
23. सफल निविदादाता को कार्य प्रारंभ करने से पूर्व उक्त आशय की शर्तों का अनुबन्ध 500रूपये के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पेपर पर अनुबन्ध करना आवश्यक होगा।
24. निविदादाता द्वारा निगम के विरुद्ध किसी प्रकार का न्यायिक प्रकरण/वाद दायर किया हुआ होने की स्थिति में आवेदन-पत्र स्वीकार्य नहीं होगा। इस संबंध में निविदादाता को 50रूपये के स्टाम्प पेपर पर नोटेरी पब्लिक से सत्यापित शपथ-पत्र प्रस्तुत करना होगा।
25. राजस्थान परिवहन निगम को यह अधिकार होगा कि वह किसी भी निविदा/अनुबन्ध को किसी भी समय बिना कारण बताये निरस्त कर सकती है तथा यदि अनुबन्धकर्ता- द्वितीय पक्ष द्वारा अनुबन्ध निर्धारित अवधि से पूर्व समाप्त करना चाहता है तो तीन माह का नोटिस देना आवश्यक होगा, अन्यथा उसकी प्रतिभूति राशि जब्त कर ली जावेगी।

मैं/हम घोषणा करता/करते हूँ/हैं कि आवेदन-पत्र में अंकित शर्तें/प्रावधान हमें स्वीकार है, जिन्हें पूर्णतः पढ़कर एवं समझकर स्वीकारोक्तिस्वरूप हस्ताक्षर किये हैं।

हस्ताक्षर,

(आवेदनकर्ता)